BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Vol. XXXXIV | 27th February 2013 | No. 3

बिहार बजट 2013-14 पर चैम्बर में परिचर्चा

परिचर्चा को सम्बोधित करते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी। उनकी दांयीं ओर क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री ष्ठाष्ठि मोहन एवं कोषाध्यक्ष श्री मुकेष्ठा कुमार जैन। बांयीं ओर क्रमशः उप मुख्यमंत्री के बजट सलाहकार श्री तिलक राज गौरी, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री गणेष्ठा कुमार खेतड़ीवाल एवं महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा।

बिहार बजट 2013-14 पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 23 फरवरी, 2013 को एक परिचर्चा आयोजित की गई । इस परिचर्चा की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने की । परिचर्चा में माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री श्री सुष्ठील कुमार मोदी उपस्थित थे । उनके साथ विभागीय वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे ।

चैम्बर अध्यक्ष की अस्वस्थता के चलते उनकी उपस्थिति में उनके स्वागत भाषण एवं बजट सम्बन्धी विभिन्न बिन्दुओं को चैम्बर उपाध्यक्ष श्री ष्ठाष्ठि मोहन ने पढ़कर सुनाया जिसमें चैम्बर अध्यक्ष ने कहा है कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज ने बजट का स्वागत करते हुए इसे विकासोन्मुखी माना है।

- वर्तमान परिस्थिति में, जहाँ राज्य में साधनों की कमी है वहाँ आपने सीमित साधनों में भी अच्छा बजट प्रस्तुत किया है।
- आपने बजट में, उद्योगों के सामने दो बड़ी समस्या, जमीन तथा बिजली की उपलब्धता पर भी ध्यान दिया है। आपने प्राइवेट इंडस्ट्रीज इस्टेट की नीति को जल्द बनाने तथा बरौनी थर्मल एवं कांटी थर्मल के बढ़े क्षमता से उत्पादन दिसम्बर 2013 तक की घोषणा की है जो उत्साहवर्द्धक है।
- इस साल 6808 करोड़ का Revenue Surplus का बजट स्वागत योग्य है।
- बजट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि FRBM Act के अन्तर्गत, जो वित्तीय अनुष्ठासन निर्धारित है, उसके अनुसार राज्य सरकार को किसी भी दिष्ठा में Fiscal Deficit की सीमा GSDP का 3% तक रखनी थी। वर्तमान सरकार विगत कई वर्षों से अपने Fiscal Deficit को निर्धारित सीमा के अन्तर्गत रखा है और इस वर्ष भी यह 2.79% है, जो काफी प्रष्ठांसनीय है।
- 12वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित ऋण सीमा के अधीन वर्ष 2011-12 तक राज्य का Outstanding ऋण 60,552 करोड़ रहा, जो भी एक प्रसंसनीय वित्तीय अनुष्ठासन का मिसाल है।
- राज्य का 11.95% Growth तथा राज्य का योजना आकार गत साल से 6000 करोड़ से बढ़ाकर 34000 करोड़ करना भी, एक सुखद समाचार है।
- यह हर्ष की बात है कि बजट पूर्व विमर्ष्ठा हेतु आयोजित बैठक में माननीय उप मुख्यमंत्री ने जो सुझाव चैम्बर से मांगे थे उनमें से कतिपय सुझावों को अपने बजट में सम्मिलित करने की कृपा की है यथा :-
  - 0.1 कुटीर उद्योग को राहत पहुँचाने हेतु अगरबत्ती को कर मुक्त करना।
  - 0.2 धार्मिक महत्व को देखते हुए नारियल को कर मुक्त करना।
  - 0.3 पेष्ठा कर का भुगतान करने वाले ऐसे सभी कर दाता, जो वेतन से भिन्न मद से आय प्राप्त करते हैं को विवरणी दाखिल करने से मुक्त करना।
  - 0.4 दाखिल की गई वाणिज्य-कर विभाग की विवरणियों की Computerised Scrutiny की व्यवस्था करना।
  - 0.5 राज्य के उद्यमी, पड़ोसी राज्यों से स्पर्धा कर सकें, इस हेतु सिमेन्ट पोल के दर को सुसंगत बनाना।
- इन सबों के बावजूद भी, इस मौके पर आपका ध्यान आकष्ट करना चाहते हैं कि, बजट में उद्योग हेतु जो राष्ठि का प्रावधान किया गया है उसे बढ़ाने की आवष्ठयकता है। गत वर्ष में उद्योग विभाग का योजना उद्व्यय 472 करोड़ था जिसे घटाकर 452 करोड़ कर दिया गया है इस पर पुनर्विचार की आवष्ठयकता है। इसके अतिरिक्त उद्योगों को Pre-production एवं Post-production सुविधा हेतु 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो काफी कम है। वर्ष 2012-13 में भी यह 300 करोड़ का ही था जिससे उद्यमियों को

incentive मिलने में काफी परेष्ठानी हो रही है। राज्य में उद्योग प्रोत्साहन नीति के कारण बहुत से नये-नये उद्योग आए हैं इस कारण अधिक प्रोत्साहन राष्ठि के प्रावधान की आवष्टयकता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के प्रोत्साहन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है जबकि गत वर्ष 2012-13 में 80 करोड़ का प्रावधान था। इसलिए इसे भी बढ़ाने की आवष्टयकता है। हम आष्ठा करते हैं कि सरकार के इस बजट में जिस प्रकार से सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, इससे राज्य का सर्वांगीण विकास होगा।

सदस्यों को सम्बोधित करते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल हम अपनी प्राथमिकता तय कर रहे हैं । केन्द्रीय ग्रान्ट की तुलना में बिहार का अपना राजस्व बढ़ता जा रहा है । प्लान साइज बढ़ने के कारण योजना और गैर-योजना का अन्तर कम हुआ है । बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है । विभागों को आबंटित पैसा अंतिम नहीं है, खर्च करने पर और पैसा मिलेगा । बजट का आउटले 40 हजार करोड़ तक जायगा । लाइबिलिटी जीएसडीपी का 24 प्रतिष्ठात है जबकि 13वें वित आयोग ने 43 प्रतिष्ठात की छूट दी है । इसके बावजूद आपात स्थिति के लिए सिंकिंग फंड है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाता है । इस वर्ष तक 1000 करोड़ से अधिक रुपये जमा हो जायेंगे । इसका ब्याज राज्य सरकार को मिलता है ।

श्री मोदी ने आगे कहा कि व्यवसायियों के हितों का भी ध्यान रखा गया है । मानव संसाधन प्राथमिकता है । हर विभाग को अनुसूचित जाति के विकास पर 16 प्रतिष्ठात पैसा खर्च करना है । महिला, पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति पर 4159 करोड़ रुपये खर्च होंगे । उद्योग विभाग का बजट थोड़ा कम इसलिए किया गया है कि विभाग को उद्योग नहीं लगाना है । यह काम उद्यमी का है । अनुदान के लिए और पैसे की जरूरत होगी तो उसे दिया जायगा । केवल सड़क पर 7208 करोड़ रुपये खर्च होंगे । इसका लाभ भी उद्योगों को ही मिलेगा । बिजली विभाग को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोष्ठिष्ठा की गई है । सरकार के अलावा दूसरी संस्थाओं से भी वह कर्ज ले और चुकता करें । कष्षि का बजट तीन गुणा कर दिया गया है । इस पर 80 प्रतिष्ठात आबादी निर्भर है ।

उन्होंने कहा कि केन्द्र से मिलने वाला पैसा कोई दया नहीं है । केन्द्र सरकार जो कर वसूलती है उसका 32 प्रतिष्ठात पैसा उसे राज्यों को देना होता है । उस पैसे में सबसे अधिक 19 प्रतिष्ठात उत्तर प्रदेष्ठा को मिलता है । बिहार को लगभग 11 प्रतिष्ठात मिलता है ।

खास बातें जो उन्होंने बतायी : • उसी कॉमर्ष्ठियल वाहनों को टैक्स मुक्त रखा गया है जिसकी मालिक और चालक महिला होगी • दूसरे राज्यों से मंगाकर की जाने वाले कर चोरी रोकने को फर्नीचर, लिफ्ट पर इंट्री टैक्स लगाया • ऑनलाइन जमा की रसीद ही टोकन का काम करेगी, इसके लिए डीटीओ के पास नहीं जाना होगा • बढ़ते कैंसर के आलोक में बीड़ी पर लगा टैक्स • बिना परमिट के राज्य में प्रवेष्ठा करने वाले वाहनों को 30 दिन का टैक्स देना होगा ।

परिचर्चा में हिस्सा लेने वालों में प्रमुख थे – चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री युगेष्ठवर पाण्डेय, श्री अरविन्द मित्तल, बिहार प्रष्ठासनिक सेवा संघ के श्री सुष्ठील कुमार, बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेष्ठान के अध्यक्ष श्री उदय ष्ठांकर सिंह, भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के श्री आलेक जैन एवं श्रीमती विभा, कॉमर्ष्ठियल टैक्सेष्ठान बार एसोसियेष्ठान के अध्यक्ष श्री मदन लाल गुप्ता, श्रीमती पल्लवी विष्ठवास, श्री देष्ठाबन्धु गुप्ता, चैम्बर के ऊर्जा उप समिति के चेयरमैन श्री संजीव कुमार चौधरी एवं अन्य।

इस परिचर्चा में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री डी० पी० लोहिया, श्री ओ० पी० साह, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री गणेष्ठा कुमार खेतड़ीवाल एवं श्री ष्ठाष्ठि मोहन, कोषाध्यक्ष श्री मुकेष्ठा कुमार जैन, महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा सहित कई संगठनों के प्रतिनिधि तथा मीडिया बन्धु काफी संख्या में उपस्थित थे । महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा के धन्यवाद ज्ञापन के बाद कार्यक्रम सम्पन्न हुआ ।

बिहार बजर 2013-14 की खास बातें

• 92087 करोड़ का प्रस्तावित बजट पेष्ठा • राजकोषीय घाटा बढ़कर 8769 करोड़ पहुचा • तम्बाकू उत्पादों पर लगने वाले करों में होगी भारी वष्ठि • सिगरेट पर 30 और बीड़ी पर 13.5 फीसद लगेगा वैट • ष्ठिक्षा पर खर्च किये जायेंगे 18280.78 करोड़ • सड़क प्रक्षेत्र में 7208.42 करोड़ का व्यय अनुमानित • कृषि के लिए योजना परिव्यय 81 फीसद बढ़ा • स्वास्थ्य पर खर्च होंगे 3356 करोड़ • कृषि सलाहकारों को मिलेगा 5000 रुपये मानदेय • कृषि ऋण पर जारी रहेगी एक फीसद ब्याज सब्सिडी • 16 फीसद हिस्सा अनुसूचित जाति के कल्याण पर खर्च होगा • विकलांगों के उपयोग में आने वाले उपकरण होंगे करमुक्त • व्यावसायिक वाहनों वाली महिलाओं को रोड टैक्स में सौ फीसद की छूट • भवनहीन थानों को नया भवन • राज्य भर में लगेंगे 24 करोड़ पौधे • पैक्स व गोदामों की बढ़ेगी क्षमता • मुख्यमंत्री नगर विकास योजना की राष्ठि बढ़ी • एकीकृत योजना के तहत नौ जिलों का चयन • सभी प्रखंडों में आजीविका योजना ।

बिहार बजट में महंगा एवं सस्ता

महंगा : • बीयर और ष्ठराब • तम्बाकू उत्पाद • बार होटल व रेस्टोरेंट • ट्रांसफॉर्मर • यूपीएस, बैटरी व चार्जर • सभी प्रकार के फर्नीचर • हस्तनिर्मित साबुन • नन स्टिक कुकवेयर • मच्छर क्वायल व लिक्विड • ग्लास व फर्ष्ठा क्लीनर।

सस्ता : • झाड़ू • काजल, मेहंदी • सूखा सिंघाड़ा • सेवई नारियल व रामदाना • ऑक्सीजन गैस • बिना सुगंध वाली अगरबत्ती • कुर्थी, मटर व राजमा • धर्मष्ठाला में ठहरना • विकलांगों की ट्राईसाइकिल।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 22.02.2013)

तेज रफ्तार से तरक्की की दिशा में दौड़ा बिहार

निर्माण और सेवा क्षेत्र की मजबूती की वजह से बीती योजना अवधि के दौरान बिहार ने 12 फीसदी की रफ्तार से तरक्की की है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार अब भी राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है। वहीं, राज्य सरकार की ताजा आर्थिक समीक्षा के मुताबिक बिहार में असमानता भी बढ़ती जा रही है। राज्य के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्री सुष्ठील कुमार मोदी ने दिनांक 19 फरवरी 2013 को राज्य विधानसभा में आर्थिक समीक्षा पेष्ठा की। सदन के पटल पर इसकी प्रति रखने के बाद मोदी ने पत्रकारों को बताया, 'वैष्ठिक आर्थिक मंदी और सुस्त घेरलु मांग के बावजूद बिहार में बीते योजना अवधि के दौरान काफी तरक्की हुई है। 2007-12 के दौरान राज्य की सालाना औसत विकास दर 11.95 फीसदी रही। बीते पांच साल में यह देष्ठा में सर्वाधिक विकास दर है।' उन्होंने कहा, 'इस दौरान राज्य के प्रति व्यक्ति आय में भी काफी इजाफा हुआ है। बीते वित्त वर्ष में राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 25,663 रुपये रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 60,972 रुपये हैं। हम राष्ट्रीय और राज्य के औसत के बीच मौजूद अंतर को पाटने की पूरी कोष्ठिष्ठा कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि 2007-08 जहां राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का महज 32.4 फीसदी पर थी, जबकि बीते वित्त वर्ष में यह 42.1 फीसदी पर आ गई। '

प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार अब भी देष्ठा के सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। राजधानी पटना में लोगों की औसत आय 55,539 रुपये है जो इस मामले मे देष्ठा के कई ष्ठाहरों से आगे है। वहीं, राज्य के ष्ठिवहर (5,522 रुपये), मधेपुरा (7,161 रुपये) और सुपौल (7,213 रुपये) इस मामले में सबसे पिछड़े जिलों में ष्ठामिल हैं।

राज्य के विकास में सबसे बड़ा योगदान निर्माण, संचार, व्यापार-होटल-रेस्तरां और बैंकिंग व बीमा क्षेत्रों का रहा। इनमे से हरेक क्षेत्र में राज्य में 15 फीसदी से ज्यादा का विकास हुआ। निर्माण क्षेत्र में 2007-12 के दौरान 21.9 फीसदी का सालाना विकास हुआ। वहीं संचार क्षेत्र ने 38.5 फीसदी की जबरदस्त रफ्तार से

तरक्की की। बैंकिंग व बीमा क्षेत्र में राज्य सालाना 23.5 फीसदी की रफ्तार से विकास हुआ, जबकि व्यापार-होटल-रेस्तरां क्षेत्र में 15.1 फीसदी की रफ्तार से विकास हुआ। वहीं, बीती योजना अवधि में कृषि क्षेत्र में सालाना 5.9 फीसदी की रफ्तार से विकास हुआ।

आर्थिक समीक्षा में राज्य सरकार की पैसों के मामले में केंद्रीय धन पर निर्भरता भी सामने आई। समीक्षा के मुताबिक राज्य सरकार अपने दो-तिहाई खर्च के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाले रकम पर निर्भर रहती है। हालांकि, मोदी ने इसका बचाव किया । उन्होंने कहा कि 'हम गरीब राज्य हैं, इसीलिए हमें केंद्र सरकार से ज्यादा मदद की जरूरत है। वैसे हम अपने कर संग्रहण में भी इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं।' **(साभार : बिजनेस स्टैंडर्ड, 20.02.2013)**

रिटेल में एफडीआई से 22 करोड़ के रोजगार पर खतरा –खंडेलवाल

देश में 20 लाख करोड़ का है खुदरा व्यापार
वाम दलों के 20-21 के हडताल का समर्थन करेगा संगठन

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स के सेक्रेटरी जेनरल श्री प्रवीण खंडेलवाल का स्वागत करते चेम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड के सेक्रेटरी जेनरल प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि रिटेल में एफडीआई के प्रवेश से देश के कम से कम 22 करोड़ लोगों का रोजगार खत्म होगा। वे चैंबर ऑफ कामर्स के सभागार में आयोजित रिटेल में एफडीआई से व्यापार की समस्या विषय पर अपना विचार रख रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में खुदरा व्यपार में केन्द्र सरकार के किसी मदद के बिना ही 15 प्रतिशत का विकास कर रही है। सर्वाधिक रोजगार देने वाले इस सेक्टर में एफडीआई के प्रवेश से देश की जीडीपी में 15 प्रतिशत की योगदान देने वाले इस सेक्टर को तहश -नहश कर दिया जायेगा।

श्री खंडेलवाल ने कहा कि सरकार के शुन्य सहयोग के बावजूद देश का यह रिटेल सेक्टर विकास में भरपूर योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार देश की विकास की जिस मोडेल की बात कर रही है वह तो अमेरिका में बहुत पहले ही असफल हो चुका है। भारत सरकार कहती है कि किसानों के लिए यह लाभकर है, पर अमेरिका में तो किसानों को सलाना एक बिलियन डॉलर की मदद से कृषि की जा रही है। अन्यथा वहां किसान खेती बंद कर देगा। यही हाल रोजगार में भी बताते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने संसद को भी इस मामले में गुमराह किया है। संसद की पटल पर रखे गये दस्तावेज को बदल कर 20 सितंबर को अन्य तथ्य रखते हुए नया नोटिफिकेशन जारी किया गया। उन्होंने कहा कि जिस एफडीआई की बात केन्द्र सरकार कर रही है वह तो अमेरिका का मोडेल है जो वहां बुरी तरह असफल हो चुका है। एफडीआई की मदद के लिए केन्द्र सरकार द्वारा गलत प्रचार करने की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि देश में 40 प्रतिशत अनाज बर्बाद हो जाता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने खुद कृषि मंत्रालय से इसके लिए सर्वे कराया था जिसमें पता चला कि सिर्फ 0.2 प्रशित से 10 प्रतिशत की क्षति होती है। सरकार की एफडीआई की नीति के विरोध में देश भर के व्यापारियों का सात मार्च को दिल्ली की रामलीला मैदान में प्रदर्शन की घोषणा करते हुए श्री खंडेलवाल ने कहा कि हमारा कन्फेडरेशन 20-21 के वामदलों द्वारा आयोजित भारत बंद का समर्थन करेगी। उस दिन हमारा संगठन जंतर-मंतर पर हड़ताल के समर्थन में रैली करेगा। साथ ही सात मार्च के अपने कार्यक्रम में एफडीआई का विरोध करने वाली देश के 14 दलों के नेताओं की शामिल करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन एफडीआई समर्थक दलों का आगामी चुनाव में हराने के लिए मतदान केन्द्र स्तर तक कार्य करेगा। आयोजित विमर्श की अध्यक्षता चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पी० के० अग्रवाल ने किया वहीं चैंबर के सेक्रेट्री जेनरल ए० के० पी० सिन्हा ने धन्यवाद ज्ञापन किया। चैंबर के कई वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सदस्य कार्यक्रम में मौजूद थे। **(साभार : आज, 17.02.2013)**

मिथिलांचल का आथिर्क विकास एवं वैकल्पिक ऊर्जा पर संगोष्ठी

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एवं मिथिलांचल इंडस्ट्रीयल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, दरभंगा के सहयोग एवं नावार्ड तथा आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित "मिथिलांचल का अर्थिक विकास एवं वैकल्पिक ऊर्जा" पर एक संगोष्ठी का उद्घाटन माननीया उद्योग मंत्री डा० (श्रीमती) रेणु कुमारी कुशवाहा ने दिनांक 7 फरवरी 2013 को लहेरियासराय अवस्थित दरभंगा क्लब में किया। श्री नवीन वर्मा, प्रधान सचिव, उद्योग विभाग संगोष्ठी के मुख्य अतिथि थे और श्री पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज संगोष्ठी के सम्मानित अतिथि थे।

संगोष्ठी को संबोधित करते हुए माननीया उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योगों का जाल बिछे इसके लिए सरकार पूरा प्रयासरत है। मिथिलांचल एवं बिहार के उद्यमियों को हताशा या निराशा होने की आवश्यकता नहीं है। औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमारी सरकार इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु कर रही है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से सर्वाधिक फायदा उद्योग जगत को ही मिलेगा। बिजली की समस्या पर उन्होंने कहा कि वर्त्तमान सरकार इस समस्या से निबटने के लिए दृढ़ संकल्पित है और बिजली नहीं तो वोट नहीं के कठोर व्रत के साथ इस दिशा में प्रयत्नशील है। जमीन की समस्या के मद्देनजर सरकार नीजि औद्योगिक प्रांगण की स्थापना पर गंभीर है। सरकार उद्यमियों की समस्याओं पर काफी गंभीर है, इसलिए उद्यमी पंचायत की अध्यक्षता स्वयं माननीय मुख्यमंत्रीजी करते हैं। उन्होने राज्य में उद्योग स्थापित करने हेतु लोगों को आगे बढ़ने की अपील की और कहा कि जो भी रुकावट आयेगी उनका हल वे निकालेंगी।

नगर विधायक श्री संजय सरावगी ने कहा कि दरभंगा में नए इंडस्ट्रीयल इस्टेट बनाने की आवश्यकता है। बेला व दोनार इंडस्ट्रीयल इस्टेट में प्लॉट खाली नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जेनरटेर के लिए राज्य सरकार उद्यमियों को 50 प्रतिशत अनुदान दे रही है। इतना अन्य राज्यों में नहीं है।

उद्योग विभाग के प्रधान सचिव श्री नवीन वर्मा ने कहा कि लोगों के बीच उद्योग लगाने हेतु प्रेरित करने एवं जागरुकता हेतु जल्द ही रोड शो किया जायगा। इण्डस्ट्रीयल इस्टेट के लिए अगर नजर में कोई जमीन हो तो उन्हें बताएं। उसका अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरु की जायेगी। उन्होंने आगे कहा कि एक करोड़ की राशि तक निवेश करने वालों को पटना जाने की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय स्तर पर ही उनका काम हो जायगा। उहोंने मिथिलांचल क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज, चावल मिल एवं फूड प्रोसेसिंग जैसे उद्योग लगाने की सलाह दी।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी. के अग्रवाल ने

संगोष्ठी को सम्बोधित करते बिहार चैम्बर ऑफ एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। मंच पर आसीन माननीया उद्योग मंत्री डॉ० रेणु कुमारी कुशवाहा, प्रधान सचिव उद्योग श्री नवीन वर्मा एवं अन्य।

संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि उद्योग विभाग द्वारा मिलने वाली सारी सुविधाओं का ब्यौरा उनके वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने उद्यमियों को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया तथा अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराने को कहा ताकि संबंधित समस्याओं की तरफ विभाग का ध्यान दिलाया जा सके और समाधान हो सके।

मिथिलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री एस० के० पंसारी ने संगोष्ठी की अध्यक्षता की और अतिथियों का स्वागत किया। मंच संचालन डा० ए० डी० एन० सिंह व धन्यवाद ज्ञापन ई० ए० के० झा ने किया। संगोष्ठी में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुरेश प्रकाश गुप्ता एवं कार्यकारणी सदस्य श्री सौंवरमल डोलिया भी उपस्थित थे। इस अवसर "सौर दर्पण" नामक स्मारिका का लोकार्पण भी किया गया।

उद्योगों को मिल रही छूट समाप्त न हो : चैम्बर

औद्योगिक इकाइयों को एएमजी व एमएमजी के चार्ज के भुगतान पर मिल रही छूट को समाप्त करने के फैसले से राज्य के उद्योगपति नाराज हैं। इनके मुताबिक इससे राज्य का औद्योगिक माहौल बिगड़ेगा। सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे। यह छूट औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत मिल रही थी । पर गत 7 जनवरी को एक आदेश के तहत इसे समाप्त कर दिया गया है। बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष पी० के० अग्रवाल की अगुआई में एक प्रतिनिधिमंडल ने बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अध्यक्ष पी० के० राय से मिलकर अपनी इस नाराजगी को अवगत कराया। अध्यक्ष को बताया गया कि यह राज्य सरकार के आदेश का उल्लंघन है। इस आदेश को तत्काल होल्डिंग कंपनी वापस ले ले। इनकी बातें सुनने के बाद अध्यक्ष ने कहा कि पैसों की दिक्कत। इस बाबत सभी स्टेक होल्डर को सामूहिक प्रयास करता चाहिए। चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल में एकेपी सिन्हा, सुभाष पटवारी, संजय कुमार खेमका, उमेश कुमार पोद्दार व संजय कुमार भरतिया शामिल थे। चैम्बर के मुताबिक इस बाबत मुख्यमंत्री से भी एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। वार्ता के दौरान अध्यक्ष का ध्यान कटरा पावर सबस्टेशन से जुड़े उद्योगों को हो रही बिजली की समस्या की ओर भी आकृष्ट कराया गया। अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि पंद्रह दिन में वहां अधिक क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा। **(साभार : हिन्दुस्तान 20.02.2013)**

ऑनलाइन रिटर्न की हार्ड कॉपी अब नहीं देनी होगी

राज्य सरकार ने व्यापारियों को एक और राहत दे दी है। वाणिज्य कर विभाग से रजिस्टर्ड डीलरों को ऑनलाइन रिटर्न जमा करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी संबंधित अंचल कार्यालय में जमा करने की जरूरत नहीं है। व्यापारी घर बैठे ही ऑनलाइन रिटर्न जमा करने के बाद उसकी एक कॉपी अपने पास रख लेगा। इस बारे में वाणिज्य कर विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके पूर्व कई अंचल पदाधिकारी व्यापारियों द्वारा ऑनलाइन रिटर्न जमा करने के बाद भी उनसे दाखिल किए गए रिटर्न की हार्ड कॉपी भी मांगते थे।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इस बारे में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को ज्ञापन भी सौंपा था कि ऑनलाइन रिटर्न जमा करने वाले व्यापारियों से रिटर्न की हार्ड कॉपी की मांग नहीं का जानी चाहिए। हालांकि श्री मोदी पूर्व में विभागीय कार्यक्रम में अधिकारियों को यह स्पष्ट कर चुके थे कि जो व्यापारी ऑनलाइन रिटर्न जमा करता है उसे रिटर्न की हार्ड कॉपी वाणिज्य कर अंचल कार्यालय में जमा कराने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद व्यापारियों को जमा कराना पड़ता था। राज्य सरकार ने अब इसे नियम में लागू कर दिया है।

अधिंकारियों ने बताया कि विभाग एक-एक कर सभी काम ऑनलाइन करते जा रहा है। इसी के तहत वाणिज्य कर विभाग ने पिछले साल से सभी व्यापारियों के लिए ऑनलाइन रिटर्न जमा करना अनिवार्य कर दिया है। इसी आधार पर विभाग ने व्यापारियों को फार्म सी भी ऑनलाइन निर्गत करना शुरू कर दिया है। बताया जाता हैं कि विभाग जल्द ही फार्म सी के ऑटो पॉयलेट सिस्टम भी शुरू करने जा रहा है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 18.02.2013)**

दीघा रेल पुल अहम मसला है पटना का

दीघा का रेल पुल पटना का अहम मसला है। यह पुल जितना जल्द तैयार होगा, राजधानी के विकास का रास्ता उतना ही जल्द खुलेगा। यह विचार थे राजधानीके उन व्यवसायियों के, जिनके विचारों को राजनीतिक- आर्थिक जगत में गंभीरता में लिए जाता है। मौका था 'हिन्दुस्तान' और बिहार चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से आयोजित 'संवाद' में रेल बजट को लेकर व्यवसायी अपनी-अपनी अपेक्षाएं बता रहे थे। इनमें एक तरफ उद्योगपति थे, तो दूसरी तरह खुदरा व्यापारियों के संगठन के प्रतिनिधि भी। एक तरफ ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के प्रतिनिधि थे तो दूसरी तरफ मारवाड़ी मम्मेलन के पदाधिकारी। 'हिन्दुस्तान' के क्षेत्रीय स्थानीय संपादक कृष्णकांत उपाध्याय भी मौजूद थे।

'संवाद' में व्यवसायियों ने जो मसले उठाए, वे बता रहे थे कि ये लोग न केवल अपने व्यवसाय बल्कि सूबे के विकास को लेकर भी चिंतित हैं। उनका मानना था कि रेलवे विकास की नब्ज की तरह है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही राज्य की विकास गति को प्रभावित कर सकती है। सभी व्यवसायियों ने दीघा रेल पुल के निर्माण में ही रही देरी पर चिंता जताई और कहा कि इसके पूरा होने की तय समयसीमा लगातार बढ़ रही है व्यवसायियों ने यह भी कहा कि बिहार से जुड़े रेलमंत्रियों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं को लटकाना जनतांत्रिक सरकार के लिए उचित नहीं है। रेल मंत्री किसी दल का नहीं होता, बल्कि वह सरकार का अंग होता है। पटना में मेट्रो रेल और मोनो रेल शुरू करने को लेकर भी आवाज उठी। व्यवसायियों का मानना था कि राजधानी में ट्रैफिक जाम से निजात तब तक नहीं मिल समती है, जब तक यहां मेट्रो और मोनो रेल सेवा शुरू नहीं होगी। उनका कहना था कि अगर अभी गंभीरता से पहल की जाए तो अगले 12-13 वर्षों में यह सेवा शुरू ही सकती है। पटना-गया रेलवे लाइन के दोहरीकरण का लेकर भी कई सवाल उठाए गए। व्यवसायियों ने आम यात्रियों से जुड़े कई मसले उठाए थे। मसलन, आरक्षण में पारदर्शिता, ट्रेनों में पैंट्रीकार और सुरक्षा से जुडे मसले। उनका कहना था कि आरक्षण सेवा में पारदर्शिता हो, तो रेल सेवा को लेकर लोगों की आधी समरस्याएं दूर हो जाएंगी। **(साभार : हिन्दुस्तान 20 फरवरी 2013)**

बांका जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का गठन

दिनांक 16 फरवरी 2013 को बांका के विजयनगर स्थित अम्बे अतिथि भवन में बांका जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों की एक बैठक चैम्बर के अध्यक्ष श्री सच्चिदानन्द तिवारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के संगठन उप समिति के चेयरमैन श्री व्यास मुनी ओझा इस बैठक में विशेष आमंत्रण पर पहुँचे थे। श्री ओझा को जानकारी दी गई कि 12 जनवरी 2013 को पूर्व से कार्यरत संस्था

बांका जिला व्यवसायी संघ का नाम परिवर्तित कर बांका जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज कर लिया गया है और पदाधिकारी भी निर्वाचित हुए हैं। बैठक में श्री ओझा से अनुरोध किया गया कि वे नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के नामों की घोषणा करने की कृपा करें। तदनुसार श्री ओझा ने जिन पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की, वे थे – अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद तिवारी, उपाध्यक्ष श्री रीतेष्ठा कुमार चौधरी एवं श्री संजय भुवानियाँ, सचिव श्री सुमित कुमार साह, सह सचिव श्री ष्ठाहिद आजम, संगठन सचिव श्री संजय चौधरी एवं कोषाध्यक्ष श्री प्रष्ठांत साह।

माधवापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अपने भवन हेतु भूमि पूजन एवं शिलान्यास सम्पन्न

माधवापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, माधवापुर (मधुबनी) के अपने कार्यालय भवन हेतु दिनांक 22 फरवरी 2013 को भूमि पूजन एवं ष्ठिलान्यास का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के संगठन उप समिति के चेयरमैन श्री व्यास मुनी ओझा इस कार्यक्रम में सम्मिलित थे। श्री ओझा ने भी ष्ठिलान्यास में एक ईंट जोड़ा। कार्यक्रम काफी भव्य एवं सफल रहा। माधवापुर चैम्ब्र ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री मदन प्रसाद का कार्य काफी प्रष्ठांसनीय रहा।

जीएसटी के लिए संविधान संशोधन पर सहमति

जीएसटी लागू करने के लिए संविधान-संष्ठोधन-विधेयक लाने पर 14.02.2013 को राज्यों के बीच सहमति बन गई । इसी के साथ केन्द्रीय बिक्री कर 2 प्रतिष्ठात घटाये जाने से राज्यो को हुई आर्थिक क्षति की भरपाई के लिए भी केन्द्र राजी हो गया।

केन्द्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के साथ दिल्ली में हुई वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति की बैठक में यह तय हुआ कि जीएसटी का मॉडल कानून वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति तैयार करेगी। बाद में इसी कानून पर राज्यों के विधान मंडलों की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। समिति के अध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री सुष्ठील कुमार मोदी के बताया कि बैठक संतोषजनक रही। केन्द्रीय ब्रिक्री कर घटाने से हुई क्षति की भरपाई के लिए 2010-11 में पूरी राष्ठि केन्द्र देगा। 2011-12 के लिए 75 प्रतिष्ठात और 2012-13 के लिए 50 प्रतिष्ठात राष्ठि राज्यों को केन्द्र से मिलेगी। केन्द्र ने भरोसा दिलाया है कि वर्ष 2010-11 की राष्ठि के भुगतान के लिए अगले बजट में प्रावधान कर दिया जाएगा। बाद के वर्षों की राष्ठि किस्तों में राज्यों को मिलेगी।

बैठक में राज्य-हितों से जुड़े मद्दों पर केद्रीय वित्तमंत्री ने सकारात्मक संकेत दिए। साथ ही जीएसटी की संरचना से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुझाव देने के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति को कर निर्धारण के लिए रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के बारे में आवष्ठयक सुझाव देने का निर्देष्ठा भी उन्होंने दिया। सर्विस टैक्स में प्लेस ऑफ सप्लाइ रेट के बारे में भी सुझाव देने को कहा। अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं आयात से जुड़े मसलों पर सुझाव तीसरी उच्चस्तरीय समिति देगी। श्री मोदी ने बताया कि श्री चिदम्बरम को जीएसटी से जुड़े अन्य मुद्दों से भी अवगत करा दिया गया है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 15.02.2013)

50 lakh workers to join 2-day TU strike

BIG WORRY The strike will adversely impact trade and industry in the absence of banking transaction and have a negative impact on economy, says BCCI President P. K. Agrawal

Bihar Chamber of Commerce and Industries (BCCI) fears, the two day strike would hit business due to absence of bank transactions, as trade unions cutting across service and manufacturing sectors have joined, what is described as the biggest general strike in the last few decades. At the national level, 10 crore workers and in Bihar an estimated 50 lakh workers, representing unorganised sector workers, including the farm sector, government employees, banks, autorickshaws, candle and incense stick makers and bidi rollers are likely to join the strike.

They have been joined by workers in steel, coal, petroleum sectors, besides NTPC, Power Grid, state electricity boards, Public and private transports, banks, insurance, telecom sector, civilian employees in defence sector, anganwadi, Asha and mid-day meal workers Add to it unorganised sector workers in construction, beedi, handloom-powerloom and head load workers.

"The strike would adversely impact trade and industry in the absence of banking transaction and have a negative impact on the economy, "said P K Agrawal, President, BCCI. He advised central trade unions to heed Prime Minister's appeal for talks and negotiate demands.

(Source : Hindustan Times, 19.02.2013)

पनबिजली ऊर्जा के भरपूर दोहन की तैयारी

ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार वैकल्पिक संभावनाओं को भी खंगालने में लगी है। इसके तहत पनबिजली के भरपूर दोहन की तैयारी है। कोसी बेसिन में 130 मेगावाट की डगमारा परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार और केन्द्रीय जल आयोग, दोनों से इसे मंजूरी मिल गई है। इसके मॉडल को आयोग के निर्देष्ठानुसार परखा जा रहा है। उधर, 450 मेगावाट की इंद्रपुरी परियोजना को संष्ठोधित जलस्तर पर उत्तर प्रदेष्ठ के साथ सहमति बनाकर विकसित करने की कोष्ठिष्ठ हो रही है।

कैमूर क्षेत्र में पहले चार पम्प्ड स्टोरेज स्कीम के तहत 2570 मेगावाट के चार प्रोजेक्ट लगाने का विचार था। इनमें हथियादह-दुर्गावती 1600 मेगावाट जबकि सिनाफदर, तेलहरकुंड और पंचगोटिया में 225 से 400 तक के प्रोजेक्ट थे। जानकारी के मुताबिक तकनीकी कारणों से यहां कम क्षमता की परियोजनाओं के लिए प्रयास हो रहा है। सीमांचल में महानंदा नदी से पनबिजली पैदा करने के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है। यहां 150 मेगावाट की परियोजना की संभावना पाई गई है। इसके साथ ही गंडक और बूढ़ी गंड़क पर पनबिजली प्रोजेक्ट लगाने के लिए सर्वेक्षण चल रहा है। बाढ़ के लिए जानी जाने वाली कोसी बेसिन के मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और अररिया जिले में कुछ परियोजनाओं के लिए डीपीआर बन रही है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 15.02.2013)

बिना परमिट माल मंगवाया तो लाइसेंस रद्द

लीज होल्डरों को अब रेलवे से सामान मंगवाना मंहगा पड़ेगा। वाणिज्य कर विभाग ने सभी लीज होल्डरों को निर्देष्ठा दिया है कि अगर वह रेलवे के माध्यम से बिना परमिट का सामान संगवाता है, तो उसका रेलवे से लीज का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

विभाग के वरीय अधिकारी ने बताया कि दिसंबर 2012 में वाणिज्य कर विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार एवं दानापुर डीआरएम एल० एम० झा के बीच एक बैठक हुई थी। बैठक में निर्णय लिया गया था कि अगर कोई लीज होल्डर बिना वाणिज्य कर परमिट (सुविधा) से सामान मंगवाता है तो वाणिज्य कर विभाग उसके खिलाफ कार्रवाई तो करेगा ही, साथ रेलवे भी उस ट्रांसपोर्ट के लीज को रद्द कर देगा, ताकि भविष्य में ऐसा गलत काम नहीं करे। इतना ही नहीं जिस व्यापारी का माल रेलवे के माध्यम से बिना परमिट के आएगा तो विभाग उनपर भी कार्रवाई करेगा। जरूरत पड़ी तो विभाग व्यवसायी के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट कंपनी पर प्राथमिकी भी दर्ज करेगा। बैठक में डीआरएम श्री झा ने भी आष्ठवासन दिया था कि अब भविष्य में रेलवे के माध्यम से बिना परमिट के सामान नहीं आएगा।

21 व्यापारियों को किया सम्मानित

वाणिज्य कर विभाग ने केन्द्रीय प्रमंडल के अन्तर्गत आने वाले 21 व्यापारियों को सम्मानित किया। इसमें वाणिज्य कर रत्न सम्मान में 5 एवं भामाष्ठाह सम्मान के रूप में 16 व्यापारियों कों पुरस्कृत किया गया । यह सम्मान उन व्यापारियों को दिया गया है जिन्होंने वर्ष 2010-11 में अच्छे ग्रोथ के साथ टैक्स विभाग में जमा किया है।

मिलने वाली सुविधाएं

विभाग सम्मान पाने वाले व्यापारियों के गोदामों का अगले एक साल तक निरीक्षण नहीं करेगा। अगर किसी कारण से निरीक्षण करने का मामला बनता है तो इसके लिए अधिकारियों को पूर्व में ही प्रधान सचिव से अनुमति लेनी होगी। सम्मानित व्यापारियों द्वारा दाखिल किसी भी आवेदन पत्र पर 7 दिनों के अंदर कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। यदि आवेदन न्यायिक प्रक्रिया से संबधित हो तो भी 30 दिनों के अंदर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे व्यापारियों को बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम के अधीन विभागीय अंकेक्षण से भी एक वर्ष की छूट दी जाएगी। साथ ही राज्य या प्रमंडलीय वेट सलाहकार समिति का सदस्य भी बनाया जाएगा।

कैसे मिलता है सम्मान

अधिकारियों ने बताया कि संगठित क्षेत्र के वैसे व्यापारी जो एक करोड़ रुपए से अधिक कर का भुगतान करते हैं एवं पिछले तीन वर्षों से कर का भुगतान औसतन 20 प्रतिष्ठात से अधिक किया है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 17.02.2013)**

मकान किराये का एग्रीमेंट भी महंगा

अनुबंध निबंधन शुल्क को बढ़ाकर किया गया दस गुना

राज्य सरकार ने अब मकान किराये के एग्रीमेंट व निबंधन दर में अप्रत्याष्ठित वष्द्धि कर दी है। पहले जहां किराये की दर के मुताबिक निबंधन ष्शुल्क वसूला जाता था, अब अवधि के मुताबिक एवं सर्किल रेट के हिसाब से किराये के एग्रीमेंट का निबंधन होगा।

बढोतरी 16-02-2013 से ही राज्य भर में प्रभावी

एग्रीमेंट की नई दरें

मद	पुरानी दर	नई दर
एग्रीमेंट	100 रुपये	1000 रु.
पार्टनरष्शिप	5000 रु.	10000 रु.
ट्रस्ट डीड	1000 रु.	5000 रु

ऐसे होगा किराए के लीज का वैल्यूएष्शन

एग्रीमेंट का समय	वैल्यूएष्शन
1 या 1 वर्ष से कम	सर्किल रेट का दो फीसद
1-5 वर्ष तक	सर्किल रेट का 5 फीसद
5-10 वर्ष तक	सर्किल रेट का 15 फीसद
10-20 वर्ष तक	सर्किल रेट का 20 फीसद
20 वर्ष या अधिक	सर्किल रेट का 50 फीसद

(वैल्यूएष्शन का 10 फीसद स्टाम्प ष्शुल्क देना होगा)

(विस्तष्त समाचार : दैनिक जागरण, 17.02.2013)

जमीन रजिस्ट्री करानी महंगी

पटना जिले के ष्शहरी और ग्रामीण इलाकों में जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो गई है। नया वित्तीय वर्ष ष्शुरू होने से डेढ़ महीने पहले चुपके से जिले के सर्किल रेट (एमवीआर) में 10 से 20 फीसदी का हजाफा कर दिया गया है । ग्रामीण इलाकों में जमीन-मकान की सरकारी दर में 20 फीसदी बढ़ोतरी की गई है, जबकि ष्शहरी क्षेत्र में यह वष्द्धि 10 फीसदी है। हालांकि इस संबंध में निबंधन विभाग ने कोई लिखित आदेष्श जारी नहीं किया है। इसके कारण रजिस्ट्री कराने वाले, कातिब तथा वकीलों के बीच ऊहापोह की स्थिति है।

"एमवीआर में कोई वष्द्धि नहीं की गई है। सभी अवर निबंधकों को बाजार दर के अनुसार संपति की कीमत तय कर स्टाम्प फीस वसूलने का निर्देष्श दिया गया है। एमवीआर में वष्द्धि एक अप्रैल से की जाएगी।"

– संदीय पौंड्रिक, सचिव, निवंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग '

(विस्तष्त समाचार : हिन्दुस्तान, 15.02.2013)

सर्किल रेट

पांच श्रेणी में बांटी गई है राजधनी

पांचवी श्रेणी	
वर्तमान दर	बढी हुई दर
60-75	66-82.5
चौथी श्रेणी	
वर्तमान दर	बढ़ी हुई दर
36-60	40-66
तीसरी श्रेणी	
वर्तमान दर	बढ़ी हुई दर
18-36	20-40
दूसरी श्रेणी	
वर्तमान दर	बढ़ी हुई दर
6-15	6.5-16.5
पहली श्रेणी	
वर्तमान दर	बढ़ी हुई दर
3-6	3.3-6.6

(अनुमानित दर प्रति कट्ठा)

प्लैटों की रजिस्ट्री की दरें

	नयी दर	पुरानी दर
जोन -1	1100-1400	1000-1300
जोन -2	1300-1800	1200-1600
जोन -3	1700-1900	1500-1700
जोन -4	1900-2200	1700-2000
जोन -5	2000-3000	1800-2700

सभी दरें प्रति वर्ग फीट (रुपये में)

किस श्रेणी में कौन इलाका

पांच श्रंणी (सबसे महंगे इलाके) : फ्रेजर रोड, एग्जीविष्शन रोड, एस पी वर्मा रोड, भट्टाचार्या रोड, बेली रोड (आयकर गोलंबर तक), तारामंडल से जीपीओ गोलबर, बोरिग रोड, बोरिग कैनाल रोड और गांधी मैदान के चारों तरफ का इलाका **चौथी श्रेणी :** नाला रोड, आर्य कुमार रोड, बारी पथ गोविद मित्रा रोड, खजांची रोड, खेतान मार्केट, हथुआ मार्केट, किदवईपुरी और श्री कृष्णपुरी का इलाका **तीसरी श्रेणी :** ककड़बाग (पुरानी बाईपास रोड), रमना रोड, कुनकुन सिंह लेन, ष्शालीमार स्वीट्स और राजेन्द्र नगर के कुछ इलाके **दूसरी श्रेणी:** कंकड़बाग और राजेन्द्र नगर का बाकी बचा क्षेत्र, कांग्रेस मैदान, जगतनारायण रोड व बुद्धा कालोनी का इलाका **पहली श्रेणी:** जो इलाके इस सूची में ष्शामिल नहीं हैं उनको पहली श्रेणी में ररवा गया है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 15.02.2013)**

होल्डिंग टैक्स के लिए 15 फरवरी से नपेंगे मकान

नया वार्षिक किराया मूल्य (पूर्व से दोगुना)

होल्डिंग के प्रकार		व्यवसायिक	अन्य	आवासीय
प्रधान मुख्य सड़क	आरसीसी, पक्की छत	108	72	36
	एस्बेस्टस	72	48	24
	अन्य	36	24	12
मुख्य सड़क	आरसीसी, पक्की छत	72	48	24
	एस्बेस्टस	48	32	16
	अन्य	24	16	08
अल्प सड़क	आरसीसी, पक्की छत	36	24	12
	एस्बेस्टस	24	16	08
	अन्य	12	08	04

(विस्तष्त समाचार : हिन्दुस्तान, 07.02.2013)

PRIVATE BIZ PARK FOR LAND SOLACE

The state government is working on a policy to set up private industrial parks to reduce land troubles for investors.

Industries department principal secretary Naveen Verma said preparations of the draft policy was in its last leg and the same would be presented before the representatives of industry associations on February 25."We welcome their suggestions, which, if found feasible, will be included in the draft, "he added.

Once done, the draft policy will be presented before the cabinet for approval. "The department is serious to set up private industrial parks in the state. The policy will deal with all the relevant areas. It will also have a detailed account on the grants to be offered to the investors. The idea of the private industrial parks will play an important part towards solving the land scarcity issues," he said.

Verma said the subsidy given to the investors would differ as it would be based on the total area of the land.

"Though a lot of things cannot be divulged at present, the department plans to provide subsidies to those who take up such

lands. The subsidy will be linked to the size of the land. The reason behind the department thinking seriously is that there are people who want to give away their land for industrial purposes. Though at present, a definite timeframe cannot be given, in another couple of months, we can send the policy to the cabinet for approval," he added.

In fact, the private industrial zone can start from Patna itself with the department eyeing on a 30-acre wetland in Mokama, some 100Km from the city. Sources said a group of landowners from Mokama was ready to provide the land for setting up of a private industrial park. "All of them were owners of a 30-acre plot, which is a wetland and they expressed the idea of allowing industries to be set up,"another department official said.

(Source : The Telegraph, 14.02.2013)

सूबें में 90 औद्योगिक इकाइयां कार्यशील

राज्य में 5017 करोड़ रुपये की लागत से कुल 90 औद्योगिक इकाइयो कार्यष्ठील हो गई हैं। इस बात का जिक्र बिहार सरकार द्वारा पेष्ठा की नयी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में किया गया है। हालांकि यहा आंकड़ा सितम्बर 2012 तक का है। इस अवधि कें दौरान पिछले छह वर्षों में सूबे में 939 औद्योगिक इकाइयों में निवेष्ठा के लिए राज्य निवेष्ठा प्रोत्साहन पर्षद से मंजूरी मिली। सर्वे के मुताबिक 939 इकाइयों में 10 प्रतिष्ठात इकाइयां चालू हो चुकी हैं, जबकि 15 प्रतिष्ठात प्रगति के चरण में है। ष्ठोष 75 प्रतिष्ठात इकाइयां क्रियान्वयन की स्थिति में हैं। खास बात यह है कि 55.35 करोड़ रुपये की लागत से नया इथनॉल सयंत्र भी कार्यरत हो गया है।

इस बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री सुष्ठील कुमार मोदी ने बताया कि सितम्बर, 2012 तक अतिलघु, लधु एवं मध्यम श्रेणी की निर्बंधित इकाइयों में कुल निवेष्ठा 1,941 करोड़ रुपये था। इन इकाइयों में कुल 6.30 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त थे। वर्ष 2011-12 में कुल 11 चीनी मिलें चालू थीं जिनके जरियें कुल 488.30 लाख क्विंटल ईख की पेराई हुई थी। इनमें चीनी प्रप्ति की दर 9.24 प्रतिष्ठात थी और कुल मिलाकर 45.10 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ। उन्होंने कहा कि सितम्बर 2012 तक राज्य निवेष्ठा प्रोत्साहन बोई ने औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के कुल 939 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की जिनमें 3.19 लाख करोड़ रुपये के निवेष्ठा और 2.27 लाख लोगों के रोजगार सम्भावित है। सरकार को डेनमार्क के काल्सबर्ग अदानी पावर्स, मोजर बेयर, आइसलैंड बीयर व इंडियन गैसोहोल से प्रस्ताव मिले हैं। फरवरी 2006 में सबसे पहले ष्ठिक्षा क्षेत्र में निवेष्ठा के लिए प्रस्ताव आया था। नेतरहाट एलुमनी एजुकेष्ठान ट्रस्ट की तरफ से सूबे में इंजीनियरिग कॉलेज खोलने के लिए प्रस्ताव आया था। श्री मोदी ने बताया कि हाल के वर्षों में विदेष्ठी पर्यटकों का आगमन कई गुना बढ़ा है। हर छह में से एक विदेष्ठी पर्यटक ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण के लिए बिहार का रुख करता है। वर्ष 2011 में यहां आने वाले विदेष्ठी पर्यटकों की संख्या 2007 के 1.77 लाख की तुलना में चार गुना से बढ़कर 7.95 लाख हो गयी है।

इससे इतर, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अतिलधु लधु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की कुल 1.92 लाख निबंधित इकाइयां हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक ओर जहां बिहार ज्यादा से ज्यादा औद्योगिकीकरण के लिए लालायित है, वही दूसरी ओर पहले से स्थापित औद्योगिक इकाइयां रुग्न होती जा रही हैं। एक अनुमान के अनुसार 1.9 लाख में से एक लाख लघु और अतिलघु इकाइयां कार्यष्ठील, जबकि ष्ठोष बंद या रुग्न हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल के वर्षों में बिहार में हुए बदलाव ने इसकी छवि में काफी सुधार किया है। हालांकि देष्ठा में बिहार को अब भी विकसित राज्य नहीं कहा जा सकता है। इसका मुख्य कारण राज्य का कमजोर औद्योगीकरण है। खराब औद्योगिक वातावरण, जमीन को अनुफ्लब्धता, कुष्ठाल श्रमिकों की कमी और अतिलघु, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए खराब बैंकिग सेवा के कारण उद्योगपति राज्य में आने से हिचकते रहे। उत्पादक गतिविधियों में निवष्ठा के प्रवाह के लिए निवेष्ठाको में विष्ठवास पैदा करना और कारोबारी संवेदना को बढ़ावा देना राज्य सरकार के लिए अब भी चुनौती है। इस मामले में सरकार ने गुत्थियों की पहचान की है और राज्य में सड़क, बिजली तथा कौष्ठाल विकास प्रष्ठिक्षण जैसे प्रमुख अधिसंरचना क्षेत्रों में परियोजना क्रियान्वयन के जरिये औद्योगीकरण की प्रक्रिया को गति देने के लिए कुछ त्वरित कदम उठाये है। राज्य सरकार ने बिहार के बारे में व्याप्त भ्रांतियों को सफलतापूर्वक दूर कर दिया है। कानून व्यवस्था अब समस्या नहीं है।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 20.02.2013)

तय समय में दूर होगी खराबी

बिजली उपभोक्ताओं की अब जल्द दूर होगी परेष्ठानी

बिजली आपूर्ति की गड़बड़ी अब निर्धारित समय में दूर होगी। बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी ने तकनीकी कर्मचारियों को सभी आवष्ठयक उपकरणों से लैस करने का निर्णय लिया है। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बिजली आपूर्पि में बाधा दूर करने के लिए एक समय सीमा का निर्धारण किया है। इसके तहत फ्यूज कॉल से लेकर ट्रांसफॉर्मर के खराब या जलने सहित अन्य तकनीकी कारणों को ष्ठामिल किया गया है। निर्धारित समय सीमा में बिजली आपूर्ति बहाल नहीं होने पर उपभोक्ता अपने निकटतम कार्यपालक अभियंता कार्यालय में क्षतिपूर्ति का दावा भी ठोक सकते हैं। तीन महीने के भीतर उपभोक्ताओं को आयोग की ओर से निर्धारित राष्ठि भी मिलेगी।

काम के लिए तय समय सीमा व क्षतिपूर्ति की राशि

सेवा	समय	एक उपभोक्ता पर	एक से अधिक पर
सामान्य फ्यूज कॉल (ष्ठाहरी)	चार घंटे	50 रुपये	50 रुपये
सामान्य फ्यूज कॉल (ग्रामीण)	24 घंटे	50 रुपये	50 रुपये
उपरि लाइन/केबल भंग (ष्ठाहरी)	छह घंटे	50 रुपये	50 रुपये
उपरि लाइन/केबल भंग (ग्रामीण)	36 घंटे	50 रुपये	50 रुपये
जमीन के नीचे केबल भंग (ष्ठाहरी)	24 घंटे	50 रुपये	50 रुपये
जमीन के नीचे केबल भंग (ग्रमीण)	36 घंटे	50 रुपये	50 रुपये
ट्रांसफॉर्मर (ष्ठाहर)	24 घंटे	100 रुपये	50 रुपये
ट्रांसफॉर्मर (ग्रमीण)	72 घंटे	100 रुपये	50 रुपये
मीटर का निरीक्षण (ष्ठाहर)	सात दिन	100 रुपये	लागू नहीं
मीटर का निरीक्षण (गांव)	15 दिन	100 रुपये	लागू नहीं
डिसकनेक्ष्ठान की बहाली (ष्ठाहर)	बिल भूगतान के दिन	50 रुपये	लागू नहीं
डिसकनेक्ष्ठान की बहाली (गांव)	भूगतान से अगले दिन	50 रुपये	लागू नहीं
विद्युत आपूर्ति चालू करना	आवेदन से 30 दिनों में	100 रुपये	लागू नहीं
नाम परिवर्तन	सात दिनों में	100 रुपये	लागू नहीं
बिजली बिल में सुधार	24 घंटे के भीटर	50 रुपये	लागू नहीं

(साभार : प्रभात खबर, 18.02.2013)

उद्योग नहीं लगाने पर 33 कंपनियां बाहर

राज्य सरकार ने वैसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई आरंभ कर दी है, जिन्होंने काफी पहले मंजूरी लेने के बावजूद सूबे में अबतक कोई निवेष्ठा नहीं किया है। उधोग विभाग ने ऐसी 33 कंपनियों को अपनी सूची से बाहर करने का निर्णय लिया है।

उद्योग इकाइयां, हास्पिटल, होटल, ष्ठिक्षण संस्थान आदि से संबंधित इनके प्रस्तावों को राज्य निवेष्ठा प्रोत्साहन पर्षद ने 2006 में स्वीकृति प्रदान की थी। कुल 26,926.51 करोड़ रुपये के निवेष्ठा के ये प्रस्ताव थे। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 2006 में राज्य निवेष्ठा प्रोत्साहन पर्षद का गठन किया था। पर्षद अब तक 3 लाख करोड़ से अधिक के निवेष्ठा के प्रस्तावों को मंजूरी दे चुकी है। परन्तु इन प्रस्तावों के सरजमीन पर उतरने का प्रतिष्ठात दो अंकों में भी नहीं आ पाया है।

उद्योग विभाग ने यह स्थिति देख वैसे निवेष्ठाकों से कोई आस छोड़ दी है, जिन्होंने काफी पहले अपने प्रस्ताव दिए थे लेकिन निवेष्ठा नहीं किया। उद्योग विभाग ने इथनाल की इकाइयों से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी देने पर भी यह कहकर रोह लगा दी है कि गन्ने से सीधे इथनाल बनाने की केंद्र सरकार ने अबतक मंजूरी नहीं दी है। तमिलनाडु की इंडियन गैसोहोल कंपनी ने इस संबंध में पर्षद को प्रस्ताव दिया था।

रद्द होने वाले प्रमुख प्रस्ताव

• बेतिया में दो मेडिकल कालेज • पटना में माइनोरिटी मेडिकल कालेज • हाजीपुर व पटना में सुपर स्पेष्ठिालिटी अस्पताल • बिहटा में निजी इण्डस्ट्रीयल पार्क • मक्का का प्रोसेसिंग प्लांट • पटना के एलसीटी घाट पर मेगा टूरिज्म सिटी • इथनाल की 8 इकाइयां • राजगीर में विष्ठव स्तर का होटल • 12 चीनी मिलें।

यहां की हैं कंपनियां

उत्तर प्रदेष्ठा, दिल्ली, अमेरिका, मुंबई, तमिलनाडु, कोलकाता एवं आंध्रप्रदेष्ठा।

"इन कंपनियों की सूची को उद्योग विभाग के वेबसाइट पर जारी किया जा रहा है ताकि आखिरी मौका समझ वे उद्योग विभाग या राज्य निवेष्ठा प्रोत्साहन पर्षद से संपर्क कर सकें। पर्षद द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद इन कंपनियों की ओर से कोई अपडेट उपलब्ध नहीं कराया गया है।"

ष्ठैलेष्ठा ठाकुर, निदेष्ठाक (टेक्निकल डेवलपमेंट, उद्योग विभाग)

(साभार : दैनिक जागरण, 19.02.2013)

कर्ज अदायगी में चूक पर गिरवी संपत्ति बेचने का हक है : सुप्रीम कोर्ट

ष्ठीर्ष अदालत ने उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के एक फैसले को निरस्त करते हुए कहा है कि उच्च न्यायालय को कर्ज अदायगी में चूक होने पर संपत्तियों की बिक्री में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्रदीप कुमार बनाम यूपीएफसी मुकदमे में एक फर्म ने यूपी फाइनैष्ठियल कॉरपोरेष्ठान से कर्ज लिया था, लेकिन उसने किस्तो का भुगतान नहीं किया। राज्य वित्त अधिनियम के मुताबिक गिरवी रखी गई सम्पत्ति की बिक्री किए जाने से पहले संपत्ति के मालिक ने उसे दूसरे पक्ष को बेच डाला था और उसके बाद उसकी पुनर्बिक्री भी की गई थी। बिक्री संबधी विवाद होने पर उच्च न्यायालय ने निगम से संपत्ति खरीदने वाले के पक्ष में बिक्री रद्द कर दी। इसके बाद उसने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेष्ठा को रद्द करते हुए कहा कि निगम को गिरवी संपत्ति बेचने का अधिकार है और संपत्ति की ऐसी बिक्री में अदालतों को हस्तक्षेप नही करना चाहिए।

वाहन पर कब्जा उचित

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि कर्ज की किस्त चुकाने में हुई चूक की वजह से कर्जदाता वाहन जब्त करता है, तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही नही की जा सकती क्योकि ऐसी स्थिति में वह अपनी ही चीज पर दोबारा कब्जा कर रहा होता है। इसलिए ष्ठीर्ष अदालत ने अनूप ष्ठार्मा बनाम भोला नाथ मुकदमे में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और वाहन खरीदने के लिए वित्तीय व्यवस्था करने वाली फर्म के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। अदालत ने दोहराया कि भुगतान संबंधी विवाद की प्रकृति दीवानी है और उसमें आपराधिक ष्ठिकायत की गुजाइंष्ठा नही बनती। फिर कर्जदाता तब तक मालिक बना रहता है, जब तक बकाये का पूरा भुगतान नहीं कर दिया जाता।

(साभार : साप्ताहिक व्यापार समाचार, हापुड़, 18.11.2012)

Statement about ownership and other particulars about newspaper of the Bihar Chamber of Commerce & Industries Fortnightly Bulletin to be published in the first issue every year after last day of February.

Form - IV ((See Rule 8)

1.	Place of Publication	:	Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna - 800 001
2.	Periodicity of its publication	:	Fortnightly
3.	Printer's Name Whether Citizen of India? (If foreigner, state the Country of origin) Address	: :	A. K. Dubey Indian Asst. Secretary Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800 0001
4.	Publisher's Name Whether Citizen of India? (If foreigner, state the Country of origin) Address	: : :	A. K. Dubey Indian Asst. Secretary Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800 0001
5.	Editor's Name Whether Citizen of India? (If foreigner, state the Country of origin) Address	: : :	Shri A. K. P. Sinha Indian Natraj Engineers Pvt. Ltd. 146, Patliputra, Patna-800 013
6.	Name and Address of Individual who own the newspaper and parterns of share holders	:	Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800 0001

I, A. K. Dubey, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

(A. K. Dubey)
Publisher

सबकी चाहत, आय हो 3 लाख तक कर मुक्त

वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के एक सर्वेक्षण में यह तथ्य उजागर हुआ है। 'बजट 2013: आम आदमी की वित्त मंत्री से उम्मीद' विषय पर यह सर्वेक्षण दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगुलरू, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे चंडीगढ और देहादून जैसे बड़े ष्ठाहरों में कराया गया। सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 90 फीसद लोगों का कहना था कि करमुक्त आय की सीमा मुद्रास्फीति की स्थिति के अनुरूप नहीं बढ़ी है। करमुक्त सालाना आय सीमा को मौजूदा दो लाख रुपए से बढ़ाकर कम से कम तीन लाख रुपए कर दिया जाना चाहिए और महिलाओं के मामले में यह 3.5 लाख रुपए हो सकती है। इससे लोगों की जेब में ज्यादा धन बचेगा और उनकी बाजार खरीद क्षमता बढ़ेगी जो कि मांग में वष्ठिद्ध में मामने आएगी। सर्वेक्षण में कहा गया है कि कर छूट की मूल रियायती सीमा को आगे बढ़ा दिए जाने से यह प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) पर संसद की स्थायी समिति के प्रस्तावों के साथ जुड़ जाएगी। चिकित्सा खर्च और स्वास्थ्य देखभाल महंगा होने के बाद मौजूदा 15,000 की सालाना करमुक्त सीमा को बढ़ाकर 50,000 कर दिया जाना चाहिए।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 14.02.2013)

EDITORIAL BOARD

Editor
A. K. P. Sinha
Secretary General

K. P. Singh
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. 0612-3200646, 2677605, 2677635 •Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Price Rs. 0.25

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296